<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-20052022-235902 CG-DL-E-20052022-235902

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 268]

No. 268]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 20, 2022/वैशाख 30, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, MAY 20, 2022/VAISAKHA 30, 1944

भारतीय रिजर्व बैंक

अधिसूचना

दिल्ली, 4 मई, 2022

सं. डीओआर.आरईटी.आरईसी.34/12.01.001/2022-23.— रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1) और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 18 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 56 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 05 फरवरी, 2021 की पूर्व अधिसूचना डीओआर.सं.आरईटी.बीसी.38/12.01.001/2020-21 के आंशिक संशोधन में, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा अधिसूचित करता है कि 21 मई, 2022 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े से प्रत्येक बैंक द्वारा आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) उसकी निवल मांग और मीयादी देयताओं का 4.50 प्रतिशत बनाए रखना होगा।

जयन्त कुमार दाश, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन III/4/असा./87/2022-23]

3393 GI/2022 (1)

RESERVE BANK OF INDIA NOTIFICATION

Delhi, the 4th May, 2022

No. DOR.RET.REC.34/12.01.001/2022-23.—In exercise of the powers conferred under the sub-section (1) of Section 42 of the Reserve Bank Act, 1934 and sub-section (1) of Section 18 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) read with section 56 thereof, and in partial modification of the earlier notification DOR.No.Ret.BC.38/12.01.001/2020-21 dated February 05, 2021, the Reserve Bank of India hereby notifies that the average Cash Reserve Ratio (CRR) required to be maintained by every bank shall be 4.50 per cent of its net demand and time liabilities effective from the reporting fortnight beginning May 21, 2022.

JAYANT KUMAR DASH, Executive Director [ADVT.-III/4/Exty./87/2022-23]